दिनांक 29.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 50/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियन्त्रण हेतु 10 प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में रोडमैप

श्री राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में उ0प्र0 पुलिस को देश का सर्वोत्कृष्ट पुलिस बल बनाने की दिशा में कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियन्त्रण के लिए निम्नलिखित 10 प्रमुख प्राथमिकताएं तय की गयी हैः-

1. अपराध/अपराधियों के खिलाफ जीरो सहिष्णुता की नीति।
2. महिलाओं का सशक्तिकरण और सुरक्षा/ संरक्षण।
3. साइबर अपराध का मुकाबला करना।
4. कानून और व्यवस्था बनाए रखना / बन्दोबस्त।
5. बेहतर पुलिस सेवाएँ।
6. पुलिस कल्याण पर ध्यान।
7. प्रतिभा और विशेषज्ञता का उपयोग।
8. प्रौद्योगिकी और ए०आई० का विभिन्न प्राथमिकताओं व पुलिसिंग में प्रयोग।
9. प्रशिक्षण।
10. जनशिकायत का निवारण।

उक्त प्राथमिकताओं को सुनियोजित एवं उद्देश्यपरक रूप से पूर्ण कराये जाने के लिए कार्ययोजना बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है-

1-विशेष और मापनीय लक्ष्य (Specific measurable goals) – प्रत्येक प्राथमिकता के सापेक्ष विशेष तथा यथासम्भव प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य होने चाहिये, जो उस प्राथमिकता को भली-भाति परिभाषित करें। किसी भी प्राथमिकता के सापेक्ष एक से अधिक लक्ष्य हो सकते है, जिनका निर्धारण अधिकारीगण अपने विवेकानुसार करेंगे।

2-वर्तमान स्थिति- उक्त लक्ष्यों के संदर्भ में हम कहाँ खड़े है ? और इनको पूरा किये जाने के लिए क्या करना है ? इसका सही मूल्याकंन प्रत्येक अधिकारी द्वारा किया जाये।

3-सर्वोत्तम राष्ट्रीय/वैश्विक प्रथाएं- प्रत्येक प्राथमिकता के सापेक्ष राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर Best Practices का अध्यन करके प्रत्येक अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि किन Best Practices

को उ0प्र0 के सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के दृष्टिगत उ0प्र0 पुलिस संगठन के ढाचे में लागू किया जा सकता है।

4-लक्ष्य प्राप्ति की कार्ययोजना- प्रत्येक प्राथमिकता में लक्ष्यों की प्राप्ति की कार्ययोजना इस प्रकार से बनायी जाये कि वह व्यवहारिक हो, उसके लागू होने के बाद वर्तमान में चल रही व्यवस्था में और सुगमता आये तथा इस कार्ययोजना को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को असानी रहे।

5-एआई/तकनीक का उपयोग कैसे किया जाये- कार्ययोजना बनाये जाने के लिए कोई विशेष साफ्टवेयर अथवा तकनीक का प्रयोग किसी संस्था/पुलिस संगठन द्वारा किया जा रहा है तो उसकी जानकारी करके उसका वर्जन प्राप्त किया जा सकता है अथवा यदि कोई नया साफ्टवेयर डेवलप करने की आवश्यकता है तो उसकी विशिष्टताओं (Specification) की जानकारी प्राप्त किया जाये।

6-विशेष प्रशिक्षण की आवश्यत्ता- कार्ययोजना को बनाये जाने के लिए किसी विशिष्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता हो तो उसका वर्णन किया जाये जिसमें- कोर्स का स्वरूप (आनलाइन /आफलाइन), समयावधि, ट्रेनिंग देने वाले Resource Person, कितने लोगो को ट्रेनिंग दी जानी है- इत्यादि का उल्लेख किया जाये।

7-समय-सीमा – कार्ययोजना बनाये जाने की समय-सीमा आवश्य निर्धारित कर ली जाये।

8-बजटीय आवश्यत्ताएं- कार्ययोजना के लिए यदि अलग से किसी बजट की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव बना लिया जाये।

9-कानून/ नियम/ विनियमो में बदलाव- यदि कार्ययोजना के लिए किसी Specific Section/ Act में बदलाव आवश्यक हो तो सम्बन्धित Specific Section/ Act की वर्तमान स्थिति (Present rule/ regulation/ act) की जानकारी देते हुए क्या बदलाव किया जाना है उससे सम्बन्धित Revised rule/ regulation/ act उपलब्ध कराया जाये।

कार्ययोजना बनाते समय उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाये-

- कार्ययोजना बनाते समय सभी सम्बन्धित पक्षों के साथ विस्तृत विचार विमर्श कर कार्ययोजना के लिए उत्तरदायी नामित अधिकारी द्वारा अन्य अधिकारियों, पुलिस कार्मिकों, विषय विशेषज्ञों का भी आवश्यकतानुसार अभिमत प्राप्त किया जाये।
- कार्ययोजना के सम्बन्ध में जिन व्यक्तियों/अधिकारियों की विशिष्ट विशेषज्ञता है, उनके भी विचार ले लिये जायें।
- कार्ययोजना बनाते समय यह उचित होगा कि पुलिस विभाग के विभिन्न स्तर के Implementing अधिकारियों/कर्मचारियों (अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड़ कान्सटेबल एवं कान्सटेबल) को भी इसमे शामिल किया जाये।
- कार्ययोजना बनाते समय लक्षित समूह (महिलाएं, नागरिक आदि) के भी सुझाव लिये जाये।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की प्राथमिकताओं के लिए तैयार किये जाने वाले व्यवहारिक रोडमैप हेतु गठित अधिकारियों की टीम

क्र0 सं०	प्राथमिकता	मुख्यालय के अधिकारी का नाम एवं पद	फील्ड के अधिकारी का नाम एवं पद
1	अपराध/अपराधियों के खिलाफ जीरो सहिष्णुता की नीति	श्री एस० के० भगत, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध उ०प्र०, लखनऊ	श्री पीयूष मोर्डिया, अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी, वाराणसी जोन
2	महिलाओं का सशक्तिकरण और सुरक्षा/संरक्षण	श्रीमती पद्मजा चौहान, अपर पुलिस महानिदेशक,,डब्ल्यूसीएसओ उ०प्र०, लखनऊ	श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ, अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा
3	साइबर अपराध का मुकाबला	श्री बिनोद कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम उ०प्र०, लखनऊ	श्रीमती लक्ष्मी सिंह, पुलिस आयुक्त, नोएडा
4	कानून और व्यवस्था बनाये रखना। बंदोबस्त	श्री अमिताभ यश, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था उ०प्र०, लखनऊ	श्री आलोक सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर
5	बेहतर पुलिस सेवायें	श्री नवीन अरोरा, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं उ०प्र०, लखनऊ	श्री भानु भास्कर, अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ
6	पुलिस कल्याण	श्री आर०के० भारद्वाज पुलिस महानिरीक्षक, भवन एवं कल्याण उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ	श्री दीपक कुमार, पुलिस आयुक्त, आगरा
7	प्रतिभा और विशेषज्ञता का उपयोग	श्री नचिकेता झा, पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र०, लखनऊ	श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ
8	प्रौद्योगिकी और ए०आई० का विभिन्न प्राथमिकताओं व पुलिसिंग में प्रयोग	श्री नवीन अरोरा, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं उ०प्र०, लखनऊ	श्री अखिल कुमार, पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर
9	प्रशिक्षण	श्री राजीव सब्बरवाल, अपर पुलिस महानिदेशक, डा० बीआरए उ०प्र० पुलिस अकादमी, मुरादाबाद	श्री संजीव गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज
10	यातायात व्यवस्था	श्री के० सत्य नारायण, अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात उ०प्र०, लखनऊ	श्री मोहित अग्रवाल, पुलिस आयुक्त, वाराणसी
11	जनशिकायत का निवारण	-	श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली।

दिनांक 29.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 51/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एस0टी0एफ0–जनपद–देवरिया से गैगेंस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त तैयब गिरफ्तार।

दिनांक 28–06–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना कोतवाली, जनपद देवरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0–887/2020 धारा– 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एवं रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त तैयब को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

तैयब पुत्र नियाज निवासी ग्राम हिरनई गुलीगढ़ थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः

पटनवा पुल के पास थाना क्षेत्र रामपुर कारखाना जनपद देवरिया, दिनांकः 28–06–2025, समय 22:36 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ टीम जनपद देवरिया में भ्रमणषील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना कोतवाली, जनपद देवरिया में पंजीकृत गैगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त तैयब पटनवा पुल के पास मौजूद है, जो कहीं जाने की फिराक में है। प्राप्त सूचना पर उपनिरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण राजेश कुमार, अश्वनी कुमार सिंह, अजय सिंह यादव, उदय प्रताप सिंह, हे0का0 कमाण्डो अरविन्द कुमार व मुख्य आरक्षी चालक रामलखन पाल की टीम द्वारा थाना क्षेत्र रामपुर कारखाना से अभियुक्त तैयब उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त तैयब उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह ग्राम हिरनई गुलीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का मूल निवासी है। उसका गौकशी/पशु तस्करी का एक संगठित गिरोह है, जिसमें वह अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अन्जाम देता है। वर्ष–2024 में थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में जेल गया था और जेल से छूटने के बाद कुछ दिन तक इधर उधर लुकछिप कर रहा। फिर वह मुम्बई चला गया और वहॉ पर छिपकर रहने लगा। किसी से मिलने के लिए मुम्बई से वापस आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त तैयब उपरोक्त को थाना कोतवाली, जनपद देवरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 887/2020 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त तैयब उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहासः</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	806/2020	307/473 भादवि व 3/5ए/8 गो0निवा0 अधि0 व 207 एम0वी0 एक्ट	कोतवाली	देवरिया
2	887/2020	3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधि0 1986	कोतवाली	देवरिया
3	673/2023	3/5ए/8 गो0निवा0 अधि0 व 11 पशुक्रूरता अधि0	जीयनपुर	आजमगढ़
4	67/2024	3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधि0 1986	जीयनपुर	आजमगढ़
5	333/2024	2(b)(i), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधि0 1986	जीयनपुर	आजमगढ़

एस0टी0एफ0–जनपद चंदौली से गैंगस्टर एक्ट में वांछित रूपये 50–50 हजार के पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28–06–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को जनपद चंदौली से गैंगस्टर एक्ट में वांछित रूपये 50–50 हजार के पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– खुर्शीद अहमद पुत्र अनीश, निवासी ढबारसी, थाना आदमपुर, जनपद ज्योतिबफूले नगर (अमरोहा)

2– नूर हसन पुत्र मुस्लिम हसन, निवासी ग्राम ढक्का, थाना सैदनगली जनपद ज्योतिबफूले नगर (अमरोहा)

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

जेठमल तिराहा, थाना क्षेत्र सैय्यदराजा, जनपद चंदौली दिनांक 28–06–2025 समय करीब 23:00 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत कुछ दिनों से फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ टीम जनपद चंदौली में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैय्यदराजा, चंदौली में पंजीकृत मु0अ0सं0 32/2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्त खुर्शीद अहमद व नूर आलम जेठमल तिराहा पर मौजूद है। प्राप्त सूचना पर निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह, उ0नि0 मनोज कुमार, मु0आ0 गौरव सिंह, मु0आ0 विनोद सिंह, मु0आ0 अखिलेश, मु0आ0 शेरबहादुर, मु0आ0 कृष्ण कुमार त्रिपाठी की टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को उपरोक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनका एक गिरोह है, जो यू0पी0, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों से गोवंशीय पषुओं की असम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में तस्करी करता है। इसके पूर्व में यह दोनों दिल्ली, हरियाणा, यू0पी0 तथा असम आदि में गिरफ्तार हुए थे। फरवरी–2023 में गोवंशीय पषुओं की तस्करी में थाना सैय्यदराजा चंदौली से गिरफ्तार हुए थे। वर्ष–2024 में थाना सैय्यदराजा चंदौली में गैगेस्टर का अभियोग पंजीकृत होने पर हरियाणा, दिल्ली तथा अहमदाबाद में छिप कर रह रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना सैय्यदराजा, चंदौली में पंजीकृत मु0अ0सं0 32/2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

खुर्शीद अहमद अहमद का अपराधिक इतिहासः

1–मु0अ0सं0 363/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

2–मु0अ0सं0 392/2017 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना आदमपुर, जनपद ज्योतिबाफूले नगर।

3–मु0अ0सं0 191/2018 धारा 398, 401, 307 भादवि थाना हसनपुर जनपद ज्योतिबाफूलेनगर।

4–मु0अ0सं0 26/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैय्यदराजा जनपद चंदौली।

5–मु0अ0सं0 32/2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना सैय्यदराजा जनपद चंदौली।

नूर आलम का अपराधिक इतिहासः

1–मु0अ0सं0 167/2020 धारा 379, 120बी भादवि 11(1) पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना वषिष्ठ, जनपद गुवाहाटी असम।

2–मु0अ0सं0 601/2021 धारा 389, 307, 353, 379, 411, 417 भादवि 13(1)/16 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना गोसाईगांव, जनपद कोकराझार, असम।

4–मु0अ0सं0 26 / 2023 धारा 3 / 5ए / 5बी / 8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैय्यदराजा जनपद चंदौली।

5–मु0अ0सं0 32 / 2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना सैय्यदराजा जनपद चंदौली।

एस0टी0एफ0–कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर से वांछित रू0 50,000 / – का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आशेष श्रीवास्तव इन्दौर, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार।

दिनांक 29–06–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 412 / 2019 धारा–120(बी) / 406 / 420 / 504 / 506 भादवि में वांछित रू0 50,000 / – के पुरस्कार घोषित अभियुक्त आशीष श्रीवास्तव को इन्दौर, मध्य प्रदेष से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>ः–

आशीष श्रीवास्तव पुत्र गणेश शंकर निवासी–नीलमकुंज 2 / 146 आवास विकास कालोनी योजना नं0–03 झूसी, जनपद प्रयागराज।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–</u>

कस्बा / मोहल्ला शांति नगर महु थाना किशनगंज, जनपद इन्दौर, मध्य प्रदेश दिनांकः 29–06–2025, समय 14:30 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार / पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों / टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय के पर्यवेक्षण एवं उप निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, एसटीएफ मुख्यालय के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ मुख्यालय टीम द्वारा कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 412 / 2019 में वांछित रू0 50,000 / – के पुरस्कार घोषित अभियुक्त आशीष

श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त आशीष श्रीवास्तव, इन्दौर मध्य प्रदेश में छिपकर रह रहा है। प्राप्त सूचना पर उपनिरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, मु0आ0 प्रभात कुमार, मु0आ0 नीरज मिश्रा, मु0आ0 विजेन्द्र नाथ राय व आरक्षी चालक नेपाल सिंह की टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग के विवेचक निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह को साथ लेकर मोहल्ला शांति नगर महु थाना किशनगंज, जनपद इन्दौर मध्य प्रदेश से अभियुक्त आशीष श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूँछताछ पर बताया कि वह नीलमकुंज 2/146 आवास विकास कालोनी योजना नं0–03 झूसी, जनपद प्रयागराज का निवासी है। वर्ष–2014 में जे0के0बी0 लैण्ड एण्ड डेवलपर्ष इन्फ्रास्टक्चर नाम की कम्पनी ज्वाईन किया था, उक्त कम्पनी में लोगों का पैसा फिक्स डिपाजिट एवं आर0डी0 के नाम पर पैसा जमा कराता था। वह वर्ष–2018 में उक्त कम्पनी का डायरेक्टर बन गया। लोगो को समय से पैसा वापस न करने एवं धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में वर्ष–2019 में उक्त कम्पनी के विरूद्ध थाना कोतवाली, ललितपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह वांछित चल रहा था। इस अभियोग में कुर्की की कार्यवाही होने के बाद इसके विरूद्ध मु0अ0सं0 713/2023 धारा 174ए भादवि का अभियोग थाना कोतवाली, जनपद ललितपुर में पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष श्रीवास्तव को कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–412/2019 धारा–120(बी)/406/420/504/506 भादवि मे थाना किशनगंज, जनपद इन्दौर में दाखिल करके अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

<u>जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 29.06.2025 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बागडपुर गामडी रोड बरसाती नाले के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो

बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अनस घायल हो गया, जिसे अभियुक्त गुलाम नबी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अनस के विरूद्ध जनपद हापुड़, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, एटा, सम्भल के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त गुलाम नबी के विरूद्ध जनपद एटा, बदायू, मुरादाबाद, हापुड़ के विभिन्न थानो में चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनस निवासी ग्राम लालपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

2–गुलाम नबी निवासी ग्राम लालपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना ट्रोनिका सिटी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दौलतनगर के पास से 03 अभियुक्तों 1–शाहरूख 2–हसन 3–अनस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाहरूख निवासी खुशहाल पार्क पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—हसन दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3—अनस निवासी दीप सिटी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।

———————